



भारत

कंट्रीफैक् टशीट (देशकेतथ्योपरएकनजर) 2025

Funded by:



Federal Office
for Migration
and Refugees



 **IOM**
UN MIGRATION

प्रकाशन

International Organization For Migration (IOM) Germany

Charlottenstraße 68
10117 Berlin
Germany
T. +49 911 43 000
F. +49 911 43 00 260

iom-germany@iom.int
<https://germany.iom.int/>

This project is funded by the German Federal Office for Migration and Refugees (BAMF).



आईओएम ने बड़ी देखभाल के साथ हर सूचना एकत्रित की है। आईओएम अपनेसर्वोत्तम ज्ञान और सभी वर्गों के साथ ये जानकारी प्रदान करता है। फफर भी] आईओएम अपने द्वारा प्रदान की गई जानकारी की शुद्धता के ललए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा] आईओएम फकसी भी ननष्कर्ष या फकसी भी पररणाम के ललए उत्तरदायी नहीं होगा] जो आईओएम द्वारा प्रदान की गई जानकारी से खींचा गया है।

अधकि जानकारी के लिए कृपया जमकनी से सवैच्छकि
स् वदे वापसी और पुनसकमेकन वापसी के सूचना पोटकपिर जाएँ:
<https://www.returningfromgermany.de/en/countries/india>

Published: August 2025 - Please note that information provided herein may be outdated due to dynamic developments in the country.

वषिय सूची

1. स्वास्य सेवा
2. रूम बाजार
3. आवास
4. समाज कल्याण
5. वशक्षा
6. बच्चे
7. संपकव
8. एक नजर मे

1 स्वास्थ्य सेवा

स्वास्थ्य सेवा के बारे में सामान्य जानकारी

भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की संरचना बहुआयामी है। इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने शामिल हैं। ये विभिन्न स्वामित्व संरचनाओं के भीतर विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों और सुविधाओं का अभ्यास करते हैं। भारतीय संविधान के तहत, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल सहित स्वास्थ्य सेवा के अधिकांश पहलुओं पर अलग-अलग राज्यों को प्राथमिक अधिकार दिया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की एक खास खूबी यह है कि जन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम हैं, जिनमें से अधिकांश निवारक और प्रोत्साहक प्रकृति के हैं, जैसे चयनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, परिवार नियोजन और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम (गर्भनिरोधक, प्रसवपूर्व सेवा आदि)। कई अलग-अलग प्रीमियम भुगतान के साथ विभिन्न नजी और सार्वजनिक कंपनियों के माध्यम से आम आबादी के लिए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है। कुछ प्रमुख स्वास्थ्य बीमा प्रदाता हैं: जनरल इश्योरेंस, भारतीय एएए, एचडीएफसी एरगो, बजाज, रेलीगियर, अपोलो म्युनिख, न्यू इंडिया एश्योरेंस, मैक्स बीमा आदि। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रमों की सूची यहाँ मिल सकती है:

<https://www.mohfw.gov.in/>

इन बीमा प्रदाताओं की वेबसाइटों पर अधिक जानकारी मिल सकती है। लाभ: सरकारी अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुफ्त या न्यूनतम शुल्क पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं। ऐसे कई धर्मार्थ संस्थान भी हैं जो कफियाती उपचार प्रदान करते हैं। नजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रक तुलनात्मक रूप से महंगा है, और बजाय बीमा के माध्यम से अधिकांश स्वास्थ्य सेवा का खर्च मरीजों और उनके परिवारों को उठाना पड़ता है। आम तौर पर इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए वैध पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस) की आवश्यकता पड़ सकती है। लागत: भारत में मरीजों की सार्वजनिक अस्पतालों में रियायती स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच होती है। हालांकि, दवाएं बेहद मामूली दरों पर उपलब्ध हैं और अक्सर व्यक्तिगत रूप से खरीदनी पड़ती हैं। पँहु: सरकारी की समाज ऊँख सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना में केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भारतीय नागरिकों को शामिल किया गया है। http://www.rsby.gov.in/about_rsby.aspx

आयुष्मान भारत PM-JAY वह स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए अस्पताल में भरती होने पर प्रतिपरिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य

बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। <https://pmjay.gov.in/about/pmjay>

चिकित्सा सुविधाओं और चिकित्सकों की उपलब्धता

सार्व जनिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और उप केंद्र राज्यों के स्वामित्व वाली ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, जो भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की सबसे बनी बियादी इकाई भी हैं। वाप करपू से भारत के सभी गाँवों के पास ये क्लीनिक उपलब्ध हैं। ये देश में सरकार द्वारा वित्त पोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का भाग हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021-2022 के अनुसार, मार्च, 2022 तक, देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 157935 और 3894 उपकेंद्र (एससी), 24935 और 6118 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और 5480 और 584 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) हैं। इन PHC का यधान कुछ विशेष चीजों पर केंद्रित हैं जिनमें शिशु प्रतिकर्षण कार्यक्रम, महामारी रोधी कार्यक्रम, जनम नियंत्रण कार्यक्रम, गर्भावस्था संबंधित स्वास्थ्य सेवा और अपात सुविधाएँ शामिल हैं। भारत में 2022 के अंत तक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 1,50,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (AB-HWC) होंगे। भारत में अभी तक 1,59,675 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (AB-HWC) संचालित किए गए हैं, जिनमें 1,20,581 उप-स्वास्थ्य केंद्र स्तर एबी-एचडब्ल्यूसी, 23,501 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर एबी-एचडब्ल्यूसी और 7,562 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर एबी-एचडब्ल्यूसी शामिल हैं। (Source - AB-HWC Portal, data as on May 2023) AB-HWC की वित्तसु सेवाओं की शुरुआत पर दान करने के लिए परिकल्पना की गई है जिनमें प्रतिकर्षण सहित मातृ और शिशु स्वास्थ्य और संचारी रोगों के लिए पहले से ही प्रदान की जा रही सेवाओं के अलावा असंचारी रोगों की देखभाल के साथ-साथ रोकथाम और योग्य जीसी स्वास्थ्य सर्वरन और कल्याण गतिविधियाँ शामिल हैं। PM-JAY के तहत लाभार्थी कोविड-19 की मफुत् जाँच और इलाज के लिए भी पात्र हैं। लाभार्थी, PM-JAY के पैनल वाले अस्पतालों के माध्यम से नजी प्रयोगशालाओं में भी जाँच करवा सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में बनी बियादी स्वास्थ्य इकाई के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की उपलब्धता इनका वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और इनके द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से भेजे गए मरीजों को स्वीकार किया जाता है प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य

1 स्वास्थ्य सेवा

य केंद्र शहरी क्षेत्रों में 120,000 लोगों या दूर दराज क्षेत्रों में 80,000 लोगों की सेवा करता है। इन एजेंसियों के मरीजों को आगे के इलाज के लिए सामान्य अस्पतालों में सहायता रति किया जा सकता है। इस प्रकार, CHC पहली रेफरल इकाई है, या एफआय भी है; जिनके लिए प्रसूति देखभाल, नवजात/बाल देखभाल, और सपताह के हर दिन हर घंटे रक्त भंडारण प्रदान रखना आवश्यक है। 2017 से देश में 5,624 CHC काम कर रहे हैं।

<https://vikaspedia.in/health/health-directory/rural-health-care-system-in-india>

भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जून 2024 तक 518 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक, 4 महिला मोहल्ला क्लीनिक (महिला क्लीनिक), 174 एलोपैथिक डिस्पेंसरी, 60 प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र (पीयूएचसी), 30 पॉलीक्लीनिक और 39 मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल हैं। क्लीनिक सोमवार से शनिवार तक सुबह 08.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक कार्य करते हैं। आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक की सूची यहाँ पर पाया जा सकता है - https://health.delhi.gov.in/sites/default/files/mbly_wise_status_of_delhi_govt_allopathic_dispensaryrban_health_centres.pdf

चिकित्सा सुविधाओं में भरती (एडमिशन)

सार्वजनिक/नजी अस्पताल में किसी भी इलाज की इच्छा रखने वाले मरीज के लिए प्रारंभ में संबंधित चिकित्सा व्यवसायी या विशेषज्ञ से परामर्श करना आवश्यक होता है। चिकित्सक की सफारिश पर परिवार या मरीज अपना संबंधित अस्पताल के भरती विभाग में पंजीकरण करवाता है और आगे के इलाज के लिए भरती का अनुरोध प्रस्तुत करता है। भरती की प्रक्रिया में आम तौर पर रोगी का चिकित्सीय अतीत, अस्पताल में भरती के लिए चिकित्सक की सफारिश और उचित शुल्क सहित दस्तावेज प्रस्तुत करना शामिल होता है। जिस इलाज की प्रकृति के आधार पर जमा करना होता है जिसके लिए रोगी की सफारिश की गई होती है। अस्पताल में रोगी की भरती से पहले भरे जाने वाले प्रवेश दस्तावेजों को पूरा करने के बाद इलाज के लिए लागू शुल्क जमा करना होता है जिसमें कमरे का किराया और शल्य चिकित्सा उपकरण, चिकित्सीय जाँचों और निर्धारित दवाओं से संबंधित अन्य शुल्क शामिल हैं। दवा की उपलब्धता और लागत

भारत में फार्मेशियाँ बहुत अधिक संख्या में हैं और यहाँ तक कि दूरस्थ कस्बों में भी मिल सकती हैं। भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है और आवश्यक दवाओं की कीमत सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है। जेनेरिक दवाएं, कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों से भी खरीदी जा सकती हैं। इन केंद्रों की सूची यहाँ मिल सकती है: <https://janaushadhi.gov.in/productportfolio/ProductmrpList>

स्वदेश लौटने वालों के लिए प्रवेश मार्ग

पात्रता और आवश्यकताएँ: विभिन्न नजी और सार्वजनिक कंपनियों के माध्यम से प्रीमियम के भुगतान पर सामान्य आबादी के लिए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है। प्रीमियम के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं। सरकारी समाज ऊँख सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना में केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भारतीय नागरिकों को शामिल किया गया है: http://www.rsby.gov.in/about_rsby.aspx

दस्तावेज या कागजात: आम तौर पर, इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एक वैध पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस) की आवश्यकता पड़ सकती है।



Photo: IOM/ Muse Mohammed

2 रूम बाजार

रूम बाजार पर सामान्य जानकारी

ववश्व बैंक के नवीनतम आकड़ों के अनुसार, भारत में रूम बल भागीदारी दर लगभग 55.8% (2024) है। अनौपचारिक क्षेत्र के वनयोजन अवधकांश रूमबल वनजी क्षेत्र द्वारा वनयोजन है। भारत में काफी बड़ा रूमबल देखते हुए, पुरुष और महिला भागीदारी में अभी भी स्पष्ट असमानता है। 74.6% पुरुष

भागीदारी दर के मुकाबले महिला भागीदारी दर 22% (2023) है। <https://data.worldbank.org/country/india>

ववश्व बैंक के अनुसार 2023 में भारत की प्रवत व्यवसाय (नाममात्र) 2,484.8 डॉलर थी, जबकि कर्य शवसमानता (पीपीपी) आधार पर इसकी प्रवत व्यवसाय 7762 अमेरिकी डॉलर (2023) थी। <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=IN> भारत में 593,729,164 वनयोजन लोगों (2023) के साथ दुवनया का दूसरा सबसे बड़ा कायवबल है। भारत में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2025 में बेरोजगारी दर 5.1 प्रतिशत है। <https://www.mospi.gov.in/>

रोजगार तलाशना

सरकार ने वववभन्न क्षेत्रों में उपयुक्त मीदवारों की भती सुगम बनाने के वलए पूरे देश में 900 से अवधक रोजगार एजेंसियाँ स्थापित की हैं। रोजगार चाहने वाले लोग इन रोजगार कार्यालयों में अपना पंजीकरण करा सकते हैं और जैसा ही सरकारी क्षेत्र में कोई ररवउनिके वांछित प्रोफाइल से मेल खाएगी, उन्हें सूचित किया जाएगा। कुछ प्रमुख ऑनलाइन रोजगार पोर्टल हैं:

www.naurki.com, www.monsterindia.com, www.timesjob.com, www.placementindia.com, www.jobsadhead.com, <https://www.indeed.co.in/>

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अवधवनयम (MGNREGA): मनरेगा वह भारतीय रोजगार गारंटी योजना है, जो हर वववतीय वषर में सौ कदम रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। यह प्रवत कदम सावधवधक न्यूनतम मजदूरी पर सावधवनक कायवसे संबंधित अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक ककसी भी ग्रामीण पररवार के वयस्क सदस्यों से संबंधित है।

उद्योग आयोग या वनदेशालय वववभन्न राज्यों में वे नोडल एजेंसियाँ हैं जो संबंधित राज्य में औद्योगिक इकाई शुरू

करने में नए उद्यमियों की सहायता और मागवदशन करती हैं। राज्य सरकार के रोजगार वनदेशालय की सूची <https://dgt.gov.in/> पर वमल सकती है।

बेरोजगारी सहायता

रूम मंत्रालय के रोजगार और प्रवशकुषण महावनदेशालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय रोजगार सेवा या रोजगार कार्यालय एजेंसी काम के अवसरों की मांग और आपूर्ति का बेहतर वमलान प्रदान करती है। रोजगार चाहने वाले लोग इन रोजगार कार्यालयों में अपना पंजीकरण कराते हैं और जैसा ही सरकारी क्षेत्र में कोई भी ररवउनिके वांछित प्रोफाइल से मेल खाती है, उन्हें अवधसूचित किया जाता है। भारत में कुछ राज्य सरकारें रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यवधियों की तीन वर्षों से अवधक समय तक बेरोजगारी सहायता प्रदान करती हैं। अवधक जानकारी के वलए संबंधित स्थानीय वजला आयुषी रोजगार कार्यालयों से संपर्क किया जाना चाहिए। रोजगार कार्यालयों द्वारा आम तौर पर प्रदान की जाने वाली सहायता परामशक माध्यम से सूचनात्मक होती है जो रोजगार की उपलब्धता और बाजार की मांग के अनुसार कौशल संवधवन से संबंधित आवश्यक जानकारी के साथ उम्मीदवारों की सहायता करने का कायव करता है। आगे की वशकुषा और प्रवशकुषण

स्वदेश वापस लौटने वाले लोग अपनी बुवनयादी वशकुषा के अलावा आगे की वशकुषा या कौशल प्रवशकुषण तक पहुँच बना सकते हैं। इसके वलए उन्हें वववभन्न प्रकार के कौशल पाठ्यक्रमों के बीच चुनाव करना होगा।

भारत सरकार के कौशल एवं उद्यमता मंत्रालय के तत्वावधान में ये कौशल प्रदान कए जाते हैं। स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों को यहाँ: <https://www.skillindia.gov.in/> उपयुक्त पाठ्यक्रम और संबंधित पंजीकरण प्रावधकरण वमल सकता है

स्वदेश वापस लौटने वाले लोग मुक्त वशकुषा संस्थानों के माध्यम से आगे की वशकुषा तक पहुँच बना सकते हैं या अपनी बुवनयादी वशकुषा पूरी कर सकते हैं।

इसके बारे में ववसृत जानकारी अवखल भारतीय मुक्त वशकुषा पररषद (AICOE; www.aicoe.in) या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (www.nios.ac.in) में उपलब्ध है।

स्वदेश वापस लौटने वाले लोग वडसटेंस लरननग (दूरस्थ वशकुषा) प्रदान करने वाले वववभन्न संस्थानों या ववश्वववधालयों से चुनाव कर सकते हैं, उदाहरण के वलए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त ववश्वववधालय (www.ignou.ac.in)।

2 रूम बाजार



Photo: Unsplash 2018/ Ibrahim Rifath

3 आवास

आवास संबंधी सामान्य जानकारी

प्रमुख शहरों में संपत्ति की कीमतें अवधकांश वैश्विक शहरों के बराबर हैं। गांवों की तुलना में शहरों में ककराया दरें अपेक्षाकृत अवधक हैं।

भारत के नई कदलली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में एक औसत बेडरूम अपार्टमेंट पर लगभग INR 20,000 - 35,000 रुपये का खचव आता है। दो या तीन बेडरूम वाले अपार्टमेंट का खचव घर की जगह और शहर के आधार पर 45,000 रुपये लेकर 90,000 रुपये के बीच पड़ता है। जब आप कसबों और गांवों का रूख करते हैं तो ये कीमतें अपेक्षाकृत अनुकूल हो जाती हैं। सुविकसित बाजार की कमी और लंबे समय से चली आ रही आवास की कमी के कारण भारत में घर की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में 2024 में 10 मिलियन घरों की मांग होने का अनुमान था।

आवास की तलाश करना

अवधकांश घर अचल संपत्ति एजेंसियों के माध्यम से ककराए पर उपलब्ध कराए जाते हैं जो आमतौर पर असंगठित होते हैं और छोटा से इलाका कवर करते हैं। आमतौर पर घर के मावलक द्वारा एक महीने का ककराया जमानत के रूप में ररफंडेबल अवग्रम के रूप में वलया जाता है। ककरायेदार का पुवलस सत्यापन अवनवायव है लेकन प्रमुख शहरों को छोड़कर छोटे शहरों और गांवों में मुवशकल से ही सत् यापन ककया जाता है। वववभन्न वेबसाइटें भारत में फ्लैट खरीदने या ककराए पर लेने का ववकल्प प्रदान करती हैं: www.99acres.com, www.housing.com www.magicbricks.com

आवास के वलपु सामावजक अनुदान

सरकार कई आवास योजनाएँ चला रही है लेकन इनमें से जयादातर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी तक सीवमत हैं। आम तौर पर इन योजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा लागू ककया जाता है। अवधक जानकारी <https://www.india.gov.in/topics/housing> पर वमल सकती है।

स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों के वलपु प्रवेश मागव

स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों के वलपु कुछ कदनों के वलपु अस्थायी आवास सहायता प्रदान की जाती है वजसमें स्वदेश वापस लौटने वाले को उवचत खचव पर ककराये के घर या गेसुट हाउस में रखा जाता है वजसका खचव आम तौर पर वापस भेजने वाले देश द्वारा उठाया जाता है। इस आवास का खचव आवास के प्रकार और जगह पर वनभवर करता है। आम तौर पर, एयरकंडीशवनग के वबना एकल आवास वाले होटल के कमरे का खचव प्रवत रात 4,000 रुपये के आसपास और एयरकंडीशवनग के साथ 7,000 रुपये के आसपास आता है। घर/गेसुट हाउस का ककराया आकार और जगह पर भी वनभवर करता है। आमतौर पर, दो बेडरूम, एक बाथरूम और एक रसोई वाले घर का खचव 15,000 से 20,000 प्रवत माह के बीच आता है। होटल में ठहरने के वलपु स्वदेश वापस लौटने वाले को अपना पहचान प्रमाण कदखाना होता है। घर में रहने के वलपु पहचान और पुवलस सत् यापन की जरूरत होती है। 20.11.2024 तक, सरकार के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के अंतरगत देश भर में कुल 1,994 बेघर आश्रय स्थल कारयरत हैं, जिनकी क्षमता 1,16,656 है। इसके अतिरिक्त, 700 से अधिक गैर-NULM आश्रय स्थल कारयरत हैं, जिनकी क्षमता 24,757 है। शहरी क्षेत्रों में बेघर आश्रय स्थलों की सूची यहाँ प्राप्त की जा सकती है: www.sansad.in

दिल्ली में स्थायी और अस्थायी आश्रय स्थलों की सूची यहाँ प्राप्त की जा सकती है: https://delhishelterboard.in/main/?page_id=483.

दिल्ली में 13 सरकारी मान्यता प्राप्त आश्रय गृह भी हैं, जिन्हें एनजीओ द्वारा संचालित किया जाता है और जो बेघर एवं असहाय महिलाओं के लिए स्थापित किए गए हैं। दिल्ली में महिलाओं के लिए 4 सरकारी संचालित शॉर्ट स्टैट होम भी कारयरत हैं। पूरी सूची यहाँ उपलब्ध है: <https://wcd.delhi.gov.in/wcd/list-short-stay-institutions-delhi-women>

की स्थापना करके एक पहल की है। वजला उपायुक्ति अधीन यह टास्कफोसव बनाया गया था। रैन बसेरों के वलपु 24x7 हेलपलाइन के साथ साथ 22 अस्थायी रैन बसेरे स्थावपत ककए गए हैं। सरकार का उद्देश्य इस पहल के माध्यम से इस मसले और ववशेष आवश्यकताओं के बारे में अवधक गहराई से जानने के बाद स्थायी आर्यों का वनमावण करना है।

मुंबई में, उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा पाररत मानकों और राष्ट्रीय शहरी आजीविका वमशन शहरी बेघरों के वलपु योजना (एनयूपलएम एसयूपएच) के कदशा वनदेशों को पूरा करने वाले आर्यों की सखत आवश्यकता है। इन कदशा वनदेशों के अनुसार प्रवत दस लाख बेघर लोगों पर आर्य स्थल होना चावहए। इस वलपु सवा करोड़ की मुंबई की आबादी के वलपु कम से कम 12 रैन बसेरों की जरूरत है। इन आर्य स्थलों की कमी से मौत और बीमाररयां बढ़ी हैं। कनावटक में, सरकार ने 8 नगर वनगमों: बीबीएमपी, बेलगाम, बेल्लारी, दावनगेरे, गुलबगाव, हुबली धारवाड़, मंगलौर और मंसूर

की स्थापना करके एक पहल की है। वजला उपायुक्ति अधीन यह टास्कफोसव बनाया गया था। रैन बसेरों के वलपु 24x7 हेलपलाइन के साथ साथ 22 अस्थायी रैन बसेरे स्थावपत ककए गए हैं। सरकार का उद्देश्य इस पहल के माध्यम से इस मसले और ववशेष आवश्यकताओं के बारे में अवधक गहराई से जानने के बाद स्थायी आर्यों का वनमावण करना है।



Photo: Unsplash 2017/ Pop & Zebra

समाज कल्याण व्यवस्था

राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकारें कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ और कार्यक्रम उपलब्ध कराती हैं। हालाँकि, ज्यादातर सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ और कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी से ककवचवतसमूहों पर केंद्रित हैं। इन कार्यक्रमों को आम तौर पर गाँव स्तर की प्रशासनिक इकाइयों द्वारा लागू किया जाता है वजन है पंचायतें कहा जाता है। अवधक जानकारी के वलए वजला आयु के पंचायत कार्यालय से संपकव करें या राज्य और केंद्र सरकार की वेबसाइट देखें। लाभ: लाभवववभन्न उपलब्ध योजनाओं के तहत आवेदकों की पात्रता पर वनभवर करते हैं। लागत: लागत आवेदकों की पात्रता के आधार पर उपलब्ध सामाजिक योजनाओं के सापेक्ष होती है।

पेंशन प्रणाली

कमवचारी पेंशन योजना वनवायव है और रोजगार की

स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों के वलए प्रवेश मागव

पात्रता और आवश्यकताएँ: वववभन्न उपयोगी योजनाएँ होने से पात्रता आरतथक वस्थवत, आयु, अल्पसंख्यक या जावतगत वस्थवत, वलग आकद पर वनभवर करती हैं।

पंजीकरण प्रकक्रया: संबंधित पंजीकरण के बारे में अवधक जानकारी के वलए स्थानीय वजला कार्यालय या पंचायत से संपकव करें।

आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र, मतदाता पहचानपत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट आकद।

वस्थवत से जुड़ी है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी या शारीरिक रूप से वकलांग लोगों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक सर्ववच्छक, परभावषत अंशदान से वाववववत बचत योजना है वजसे अंशदाताओं को सभथव बनाने के वलए तैयार किया गया है। यह उनके कामकाजी जीवन के दौरान वववस्थत बचत के माध्यम से उनके भववष्य के बारे में बेहतरीन वनणवय लेने के वलए है। वषव 2009 से, एनपीएस सर्ववच्छक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित सभी नागरिकों के वलए उपलब्ध है।

अवधक जानकारी वनम्वलवखत वेबसाइटों से वमल सकती है:

- <https://india.gov.in/spotlight/national-pension-system-retirement-plan-all>
- <https://npsra.nsdl.co.in/download/pdf/NPS%20Booklet.pdf>

लागत: रटयर I और रटयर II खातों में अंशदान करने के वलए, अंशदाता को NCIS (NPS अंशदान अनुदेश पची) फॉर्म के साथ ककसी भी पीओपी एसपी में पंजीकरण के वलए आवेदन करते समय अपना पहला अंशदान (रटयर I के वलए न्यूनतम अंशदान 500 रुपये और रटयर II के वलए 1000 रुपये) करना होता है।

NPS अंशदाता को वनम्वलवखत शतों के अधीन अंशदान करना होता है:

- खाता खोलते समय न्यूनतम रावश: 500 रुपये
- प्रवत अंशदान न्यूनतम रावश: 500 रुपये
- प्रवत वषव न्यूनतम अंशदान: 6,000 रुपये
- एक वषव में अंशदान की न्यूनतम संख्या: कोई अवधकतम सीमा वनवायव नहीं की गई है और अंशदाता अपने अंशदान की आवृत्त पर वनणवय ले सकते हैं।

रटयर II के वलए, न्यूनतम अंशदान आवश्यकताएँ हैं:

- खाता खोलते समय न्यूनतम अंशदान: 1000 रुपये
- प्रवत अंशदान न्यूनतम रावश: 250 रुपये
- प्रत्येक वववतीय वषव के अंत में 2000 रुपये का न्यूनतम शेष बनाए रखें।

लाभ NPS एक पारदशी और लागत प्रभावी प्रणाली है वजसमें पेंशन अंशदान का पेंशन फंड योजनाओं में वनवेश किया जाता है। कमवचारी कदन प्रवतकदन के आधार पर वनवेश का मूल्य जान सकते हैं। सभी अंशदाताओं को जो काम करना होता है, वह है अपने नोडल कार्यालय में खाता खोलना और स्थायी से वाववववत खाता संख्या (PRAN) प्राप्त करना। प्रत्येक कमवचारी की एक अवदववत संख्या से पहचान होती है और उसके पास एक अलग पीआरएन होता है जो पोटेबल होता है यानी अगर कमवचारी का ककसी अन्य कार्यालय में तबादला हो जाता है तो यह वही रहता है। एनपीएस का वववववमन पेंशन वनवव वववववमाक और ववकास प्रावधकरण करता है।

स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों के वलए प्रवेश मागव

एवाईट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी)/एवाईट ऑफ प्रेजेंस सतवस प्रोवाइडर (पीओपी एसपी) को अपने आवेदन प्रस्तुत करते समय 18 से 60 वषव की आयु के बीच के भारत के सभी नागरिक एनपीएस में शावमल हो सकते हैं।

कोई भी ववववमन नांककत प्रकक्रया का पालन करके एनपीएस में अंशदाता के रूप में पंजीकरण करा सकता है:

1. एनपीएस में स्थायी से वाववववत खाता (PRA) (रटयर I और/या रटयर II) खोलने के वलए पीओपी एसपी को अन्य सहायक केवाईसी दस्तावेजों के साथ वववववत भरा हुआ यूओएस एस1 फॉर्म प्रस्तुत करें

केवल रटयर II खाते के वलए, सकक्रय रटयर I खाता रखने वाले व्यक्ति को संबद्ध पीओपी एसपी से संपकव करना और एक नए वववडो में खुलने वाली यूओएस एस10 फॉर्म (रटयर II सकक्रयण फॉर्म) पीडीएफ फाइल के साथ पीआरएन कार्ड की प्रवत प्रस्तुत करना चाहए

2. पीओपी एसपी द्वारा फॉर्म मान्य किया जाएगा और अंशदाता को एक पावती संख्या प्रदान की जाएगी आवश्यक दस्तावेज: -केवाईसी दस्तावेज

कमजोर या सुभेद्य समूह

कमजोर या सुभेद्य समूह (जैसे कक वकलांग और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग) अपनी संवेदनशीलता के आधार पर सरकारी योजनाओं के तहत वववववत लाभों के हकदार हैं। इसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण, ररायती स्वास्थ से वा सुववधाएँ और ररायती राशन/खाद्य सामग्री शावमल हैं। सरकारी योजनाओं के बारे में अवधक जानकारी संबंधित वजलावधकारी के कार्यालय से उपलब्ध हो सकती है, उदाहरण के वलए:

वजला मवजस्ट्रेट का कार्यालय नई कदल्ली, पुराना गागी कॉलेज भवन, 24 राष्ट्रीय उद्यान रोड, लाजपत नगर चतुथव, नई कदल्ली, कदल्ली, 110024; फोन: 011 2647 6402

वजला मवजस्ट्रेट (DM) कार्यालय मुंबई, पुराना कसटम हाउस, शावहद भगत वसह मागव, फोटव, मुंबई, महाराष्ट्र, 400001; फोन: 022 2266 3453

वजला मवजस्ट्रेट (DM) कार्यालय चेन्नई, 62 राजाजीसलाई चौथी मंजव, चेन्नई, तवमलनाडु, 600001; फोन: 044 2522 8025

उपायु कार्यालय (DC Office), वजला प्रशासनिक पररसर, होवशयारपुर, 146001, पंजाब; फोन: 01882220301



Photo: Unsplash 2016/ Abhas Mishra

वशक्षा संबंधी सामान्य जानकारी

अवधकांश शहरोँ और कस्बों में सरकारी और वनजी, दोनों तरह के स्कूल हैं। हालाँकि, वशक्षा पर होने वाले खचव और उसकी गुणवत्ता में अंतर हो सकता है। भारत के अवधकांश वहुससों में शैवकषक सत्र जून / जुलाई में शुरू होता है। इसवलए, इच्छुक छात्रों को पहले से ही आवेदन करके रखना चावहए। प्राथवमक ववदयालय या प्राइमरी स्कूल (ग्रेड 1 से 8) ज्यादातर गांवों में उपलब्ध हैं। हाईस्कूल की वशक्षा (ग्रेड 9 से 12) के वलए बच्चों को पास के गांव / कस्बे में जाना पड़ सकता है। मान्यता प्राप्त स्कूलों के वववरण के वलए संबंधित वशक्षाराज्य बोडों से संपकव करें। कॉलेज और व्यावसायक प्रवशक्षण संस्थान ब्लॉक और वजला स्तर पर वस्थत हैं। ववश्वववदयालय (युवनवर्तसटी) अवधकांश प्रमुख शहरोँ में वस्थत हैं। 789 ववश्वववदयालयों और 37,204 से अवधक संबद्ध कॉलेजों में 20 वमवलयन से अवधक छात्रों के नामांकन के साथ, भारतीय उच्च वशक्षा एक बड़ी और जरटल प्रणाली है। 60 ववश्वववदयालयों से संलग्न 66 संस्थानों के माध्यम से दूरस्थ वशक्षा भी उपलब्ध है। इसके अलावा 11 मूिववश्वववदयालय (ओपन युवनवर्तसटी) भी वशक्षा प्रदान कर रहे हैं। सभी ववश्वववदयालयों, कॉलेजों, बोडों और व्यावसायक प्रवशक्षण संस्थानों की जानकारी <https://mhrd.gov.in/institutions> पर प्राप्त की जा सकती है।

प्रवेश:

प्रवेश के वलए, आम तौर पर वनमन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

- आवेदन / पंजीकरण फॉमव
- पासपोटव साइज फोटोग्राफ, माकवशीट और पास सर्टटकफकेट
- जन्म वतवथ का प्रमाण (आमतौर पर आपकी दसवीं कक्षा की माकवशीट या पास सर्टटकफकेट
- वजसमें जन्म वतवथ उवल्लवखत हो)
- स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र (वपछले स्कूल द्वारा जारी)
- अवधवास प्रमाण पत्र / आवासीय प्रमाण या प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र (यकद गृह राज्य के बाहर के कॉलेज में आवेदन करना है), चररत्र प्रमाण पत्र (आमतौर पर आपकी वपछली संस्था से)
- अनुसूवचत जावत / अनुसूवचत जनजावत / अन्य वपछड़ी जावत के प्रमाण पत्र (यकद इन रूवणयों के

तहत आवेदन ककया गया हो), समुदाय प्रमाण पत्र (यकद इसतरह के कोटा के वलए आवेदन ककया गया है)

- अंतराल वाले छात्रों (Gap students) को ववशेष कषेत्रावधकार वाले ककसी न्यायालय से एक हलफनामा प्राप्त करना आवश्यक है
- प्रवास प्रमाण पत्र

लागत, ऋण और वजीफा

वशक्षा की लागत में व्यापक रूप से अंतर है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान बहुत न्यूनतम दर पर वशक्षा प्रदान करते हैं जबकि वनजी संस्थानों में इसकी अपेक्षा वशक्षा काफी महंगी है। जो छात्र अपनी ट्यूशन फीस वहन करने में असमथ हैं, वे छात्र ऋण के वलए पात्र हो सकते हैं जो कक ऋण के वलए व्यवगित छात्रों की पात्रता वनधावररत करने के बाद वववभन्न साववजनक और वनजी बैंकों द्वारा प्रदान कए जाते हैं। छात्र ऋण आम तौर पर बैंकों द्वारा ररयायती दर पर कदए जाते हैं। इस तरह के ऋण का लाभ उठाने के वलए छात्रों को उनके द्वारा जमा ककए गए सभी शैक्षणक दस्तावेजों और प्रस्तावत अध्ययन के पाठ्यक्रम की ववश्ववसनीयता सुववति ककए जाने के आधार पर मानदंडों को पूरा करना चावहए। आगे की जानकारी सीधे चुने गए बैंक से संपकव करके प्राप्त की जा सकती है।

ववदेश में प्राप्त वडप्लोमा की स्वीकृत और सत्यापन

उच्च वशक्षा में प्रवेश के वलए मान्यता प्राप्त ववदेशी ववश्वववदयालयों द्वारा प्रदान की गई वडगरी की तुलना का कायव कदल्ली में अंतर ववश्वववदयालय बोडव के मूल्यांकन प्रभाग को कायव सौपा गया है।

वापसी करने वालों के वलए प्रवेश मागव

पंजीकरण प्रकक्र्या: मीवडया और अखबार के माध्यम से हर वषव एक बार साववजनक और वनजी स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश की घोषणा की जाती है। वनमनवलवखत दस्तावेजों के साथ प्रवेश के वलए स्कूलों से सीधे संपकव ककया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज: बच्चे का पासपोटव आकार का एक फोटो, ककसी मान्यता प्राप्त स्कूल द्वारा स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र या, एमसीडी या ककसी अन्य स्थानीय वनकाय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की मूल प्रवत, वपछली उत्तीणव हुई कक्षा की माकव शीट। वनवास प्रमाण के रूप में वनमनवलवखत दस्तावेजों में से कोई भी: माता-वपता के नाम पर जारी बीपीएल या राशन, वजसमें बच्चे का नाम हो।

बच्चे या माता-वपता का अवधवास प्रमाण पत्र।

वपता या माता का वोटर आईडी काडव।

माता-वपता के नाम पर वबजली / एमटीएनएल लैंडलाइन / पानी का वबल।

बच्चे या माता-वपता के नाम पर बैंक पासबुक।

बच्चे या माता-वपता का आधार काडव।

माता-वपता या बच्चे में से ककसी के नाम का पासपोटव।

माता-वपता का ड्राइवग लाइसेंस।

जावत का प्रमाण पत्र (अनुसूवचत जावत / अनुसूवचत जनजावत / अन्य वपछड़ी जावत के मामले में)।

ववकलांगता का प्रमाण पत्र।



Photo: Unsplash 2018/ Nikitha S

6 बच्चे

बच्चों और वशशुओं की सामान्य वस्थित

भारत में 472 ममवलनन बच्चे (1-17 वषव) हैं। यह देश में कुल जनसंख्या का 39% वहससा है (जनगणना 2011)।

उनमें से 30% से अवधक (लगभग 385 ममवलनन बच्चे) अत्यवधक गरीबी में रहते हैं, जो कक दवक्षण एवशया में सबसे अवधक संख्या हैं।

यूवनसेफ और ववश्व बैंक:

https://www.unicef.org/publications/files/Ending_Extreme_Poverty_A_Focus_on_Children_Oct_2016.pdf

अवधकार: भारतीय संववधान देश के नागरकों के रूप में बच्चों को समान अवधकार प्रदान करता है। भारत ने बाल अवधकारों पर संयुंरिष्टर अवभसमय की भी पुवष्ट की है। ववशेष रूप से बच्चों के वलए संवैधावनक गारंटी में सममवलत हैं:

- 6-14 वषव आयु वगव के सभी बच्चों के वलए मुफ्त और अवनवायव प्राथवमक वशक्षा का अवधकार (अनुच्छेद 21A)
- 14 वषव की आयु तक ककसी भी खतरनाक रोज़गार से सुरवक्षत रहने का अवधकार (अनुच्छेद 24)
- दव्यववहार और आरतथक आवश्यकता से मजबूर होकर अपनी उमर या शवके अनुपयुंव्यवसाय में प्रवेश से संरक्षण का अवधकार (अनुच्छेद 39 (e))
- स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता व गररमा के साथ ववकास के समान अवसरों व सुववधाओं, और शोषण तथा नैवतक व भौवतक पररतयाग के ववरुद्ध बचपन व युवावस्था की सुरक्षा की गारंटी का अवधकार (अनुच्छेद 39 (f))
- छह वषव की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों को बचपन की देखभाल और वशक्षा का अवधकार (अनुच्छेद 45)

बच्चों की भलाई और उनके अवधकारों के वलए कायव करने वाले (गैर-) सरकारी सकक्रयक

- चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन: चाइल्डलाइन सहयोग और सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों के वलए भारत की पहली 24-घंटे, वनी:शुल्क, आपातकालीन फोन सेवा है।
- हेल्पलाइन नंबर: 1098
- अववस्थवत (Location): अवखल भारतीय
- बाल अवधकार और आप (Child Rights and You - CRY): CRY एक प्रवसद्ध संगठन है, जो 1970 से बाल कल्याण की कदशा में काम कर रहा है - उन्हें वशवक्षत करने, बालरूम और बाल शोषण को खतम करने में मदद कर रहा है।

- स्थान: मुंबई, बैंगलोर, कदलली, चेन्नई और कोलकाता।
- सेव द वचलडरन: ये बच्चों को गुणवत्तापूण वशक्षा और स्वास्य सेवा, नुक्सान और दव्यववहार से सुरक्षा, और आपात वस्थवत के दौरान जीवन रक्षक सहायता उपलब्ध कराने के वलए देश में दूर दूर तक वस्थत स्थानों और शहरी क्षेत्रों में कायवक्रम चलाते हैं।

स्थान: ये 19 भारतीय राज्यों में मौजूद हैं, और इनका मुख्यालय नई कदलली में है।



Photo: Unsplash, 2017/ Lauren Joseph

7 संपकव

आईओएम; यूनेस्को हाउस, गराउंड फ्लोर, 1, सैन मार्टिन मागव, चाणक्यपुरी, नई कदल्ली -110012 फोन- + 91 11 24100026, iomnewdelhi@iom.int

यूनेस्को; नई कदल्ली क्लस्टर कायावल, 1, सैन मार्टिन मागव, चाणक्यपुरी, नई कदल्ली, कदल्ली 110021; फोन: 011 2611 1873

संयुक्तराष्ट्र ववकास कायवक्रम; जोसेफ स्टीन लैन, लोधी गाडवन, 55 लोधी एस्टेट, नई कदल्ली, कदल्ली 110003; दूरभाष: 011 4653 2333; इंटरनेट: www.in.undp.org

संयुक्तराष्ट्र बाल कोष (यूवनसेफ); 73, लोदी एस्टेट, लोदी गाडवन के पास, नई कदल्ली, 110003; दूरभाष: 011 2469 0401; इंटरनेट: www.unicef.in

अंतरावष्ट्रीय र्वमक संगठन; इंडिया हवबेटेड सेंटर, कोर 4B, तीसरी मंजल, लोधी रोड, नई कदल्ली, कदल्ली 110003 Tel.: 011 2460 2101 इंटरनेट: www.ilo.org

शरणार्थियों के वलप संयुक्तराष्ट्र के उच्चायुक्त (UNHCR) का कायावल; बी 2/16, वसंत ववहार, नई कदल्ली, कदल्ली, 110057; दूरभाष: 011 4353 0444, इंटरनेट: http://www.unhcr.org/in/

संयुक्तराष्ट्र मवहला, 83, ब्लॉक सी, वडफ्स कॉलोनी, नई कदल्ली, कदल्ली 110024, तेल.: 011 4045 2300, इंटरनेट: www.india.unwomen.org

राष्ट्रीय कौशल ववकास पररषद, 01-306, वलडव माकव 1, वेस्ट ववग, एयरोवसटी, नई कदल्ली, कदल्ली 110037, 011 4745 1600

बॉम्बे हॉवस्पटल एंड मेवडकल ररसचव सेंटर, 12, मरीन लाइन्स, मुंबई, 400 020, भारत

लीलावती अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, ए-791, बांद्राररक्लेमेशन, बांद्रापवमि, मुंबई, 400050, भारत

जसलोक हॉवस्पटल एंड ररसचव सेंटर, 15, डॉ देशमुख मागव, पेडर रोड, आईटी कॉलोनी, तारकदओ, मुंबई, महाराष्ट्र पी डी वहुदुजा अस्पताल, वीर सावरकर मागव, मावहम, मुंबई, 400016 भारत

कोकलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल और वचककतसा अनुसंधान केंद्र, राव साहेब अचुतराव, पटवधवन मागव, चार बंगला, मुंबई 400053, भारत

सर गंगा राम अस्पताल मागव, रावजदर नगर, नई कदल्ली, कदल्ली, 110060, भारत

बीएलके सुपरस्पेशलटी अस्पताल, पूसा रोड, रावजदर नगर, नई कदल्ली, कदल्ली 110005, भारत

इंदरप्रस्थ अपोलो अस्पताल, कदल्ली, कदल्ली मथुरा रोड, जसोला अपोलो मेट्रो स्टेशन के पास, सररता ववहार, नई कदल्ली, कदल्ली 110076, भारत



Photo: Unsplash 2018/ Sarthak Kwatra

7 संपकव

फोर्टस अस्पताल, फोर्टस अस्पताल,
ए ब्लॉक, शालीमार बाग, नई कदल्ली,
कदल्ली, 110088, भारत

आजाद फाउंडेशन, W-114, पहली
मंजिल, ग्रेटर कैलाश II, नई कदल्ली
110048; दूरभाष: +91 11 4060
1878, ईमेल: azadfoundation@
gmail.com; वेबसाइट: <http://www.azadfoundation.com/>

‘लॉयसव कलेक्टव’ की मवहला
अवधकार इकाई, ए -13, प्रथम तल,
वनजामुद्दीन पवमि, नई कदल्ली
110013, फोन: 011 41666385

आसरा, आगूवत सोसायटी, बी / 117, एल
जे रोड, माटुंगा (पवमि), मुंबई, महाराष्ट्र
- 400016, 022 24453857

इंटरनेशनल सेंटर फॉर ररसचव ऑन
ववमेंन, सी -59, साउथ एक्स पाटव II,
ब्लॉक सी, साउथ एक्सटेंशन II, कदल्ली
110049, फोन: 011 46643333

चाइल्डलाइन इंडिया, 24-घंटे हेलपलाइन
नंबर: 1098

सेवद वचलहरन, बाल रक्षा भारत, पहली
और दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 91, सेक्टर
- 44, गुडगाँव (हररयाण) - 122003,
भारत
फोन: +91 124 4752000, 4752100

डॉन बॉस्को फॉर माइग्रेंट्स,
डॉन बॉस्को नेशनल फोरम फॉर द यंग एट
रसिक्, C 991, सेक्टर-7,
द्वारका, नई दिल्ली - 110077
खुलने के दिन और समय: सेवाएं 24 घंटे
उपलब्ध हैं।
वेबसाइट: dbyarforum.org
टेलीफोन: +91 9443394655
राष्ट्रीय हेलपलाइन: +91 9642372372
(रसिप्शन 11 भाषाओं में उपलब्ध हैं)

8 एक नजर में

वापसी से पहले ककए जाने वाले उपाय

- जमवन अवधकारियों से दस्तावेजों का अनुरोध करें वजनकी बाद में आवश्यकता हो सकती है।
- पररवार के सदस्यों के साथ वापसी का समन्वय।
- प्रवास के दौरान प्राप्त वशक्षा / व्यावसायिक कौशल के प्रमाण पत्र (यकद कोई हो तो), कायव / रोजगार का प्रमाण पत्र (यकद कोई हो तो), वनरोध केंद्र में वबताए गए समय का प्रमाण पत्र (यकद कोई हो तो) का अनुरोध करें।
- आरोग्य प्रमाण पत्र या वचककत्सा पची (यकद कोई हो तो)।
- हवाई अड्डे पर आगमन और आगे की यात्रा के संबंध में वनमनवलवखत जानकारी पर ध्यान दें:
- यकद ककसी को छोटे शहर में जाना है, तो कम लागत वाली एयरलाइनों से उन जगहों का संपकव नहीं भी हो सकता है। भारतीय एयरलाइंस या जेट एयरवेज जैसी प्रमुख एयरलाइंस पर वनभवर रहना पड़ सकता है।
- ककसी बड़े शहर के वलए उड़ान भरना और ट्रेन लेना उवचत हो सकता है। रेलवे के रटकट अवधकांश रेलवे स्टेशनों पर काउंटरो के साथ-साथ ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। भारतीय रेल की वेबसाइट: www.indianrail.gov.in
- रटकट बुककग: www.irctc.co.in

आगमन पर तुरंत ककए जाने वाले उपाय

- वैध आईडी के वलए आवेदन करना।
- खाते में (पुनः)पंजीकरण के ववषय में वनमन जानकारी लेना:
- भारतीय नागरिकों को ककसी भी प्रवधकरण के साथ ककसी भी तरह के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। आगमन पर इमीग्रेशन ब्यूरो हवाई अड्डे पर एक संवक्षपत साक्षात्कार कर सकता है।
- पेंशन बीमा / कमवचारी पेंशन योजनाएं आमतौर पर वनयोिओं (रोजगार देने वाले) द्वारा प्रदान की जाती हैं। यकद कोई पहले से ही पंजीकृत है, तो ककसी भी तरह के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- स्वासूय बीमा एक प्रीवमयम के भुगतान पर उपलब्ध है (देखें “हेल्थकेयर” अनुभाग)। सरकारी स्वासूय योजनाएं आमतौर पर केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के वलए होती हैं।
- उस क्षेत्र में चल रही सरकारी योजनाओं को समझने के वलए स्थानीय ग्राम स्तरीय प्रशासनक इकाई (ग्राम पंचायत), खंड ववकास अवधकारी या वजला मवजस्ट्रेट कायावलय से संपकव करें।
- रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के वलए रोजगार वेबसाइटों / स्थानीय रोजगार वववनमय पर नामांकन।
- कौशल उन्नयन के वलए भारत सरकार द्वारा चल रहे कौशल ववकास कायवक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें।